2018 का विधेयक सं. 15

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।
 - (2) यह त्रन्त प्रवृत्त होगा।
- 2. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 24 का संशोधन.- डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 15) की विद्यमान धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-
- "24. कुलपति.- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।
- (2) कोई भी व्यक्ति कुलपित के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आयुर्वेद के क्षेत्र में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद नहीं हो।
- (3) कुलपित, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पैनल में सिम्मलित व्यक्तियों में से, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपित द्वारा नियुक्त किया जायेगा-
 - (क) विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति:

- (ख) आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित भारतीय चिकित्सा पद्धिति का विशेष ज्ञान रखने वाला एक व्यक्ति;
- (ग) क्लाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और
- (घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति, और कुलाधिपति, इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।
- (4) विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों से असंबद्ध, उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का कोई विख्यात व्यक्ति ही खोजबीन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किये जाने के लिए पात्र होगा।
- (5) खोजबीन समिति कुलपित के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों का और अधिकतम पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी और उसकी सिफारिश करेगी।
- (6) कुलपित के चयन के प्रयोजन के लिए, खोजबीन सिमिति लोक सूचना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी और कुलपित के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार करते समय, खोजबीन सिमिति, शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रदर्शन और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को उचित महत्व देगी और अपने निष्कर्षों को लेखबद्ध करेगी और उन्हें कुलाधिपित को प्रस्तुत किये जाने वाले पैनल के साथ संलग्न करेगी।
- (7) कुलपित की पदाविध उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या उसके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

- (8) कुलपित, ऐसा वेतन और भित्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नि:शुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो विहित की जायें।
- (9) जब कुलपित के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदाविध समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह रिक्ति कुलाधिपित द्वारा, उप-धारा (3) के अनुसार भरी जायेगी और

जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (10) के अधीन और अन्सार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

- (10) जब कुलपित के पद की कोई अस्थायी रिक्ति छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (9) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपित को करेगा, जो राज्य सरकार की सलाह से, कुलपित के पद के कृत्यों के, राज्य-विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपित द्वारा, निर्वहन के लिए व्यवस्था करेगा।
- (11) कुलपित किसी भी समय पद का त्याग, अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपित को प्रस्तुत करके, कर सकेगा।
- (12) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये।
- (13) जहां, कुलपित के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी भी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।
- (14) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।
- (15) कुलपति, ऐसी दरों पर जैसीकि विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
 - (16) क्लपति, निम्नान्सार छ्ट्टी का हकदार होगा:-
 - (क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्णवैतनिक छुट्टी; और
 - (ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्णवैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 के उपबंधों को अंगीकार करने के लिए मंजूरी दी थी। तत्पश्चात्, इन विनियमों में वर्ष 2013 में संशोधन किये गये थे।

कुलपित के अनुभव और चयन प्रक्रिया के संबंध में, विश्वविद्यालयं अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य अकादिमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण के उपाय) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2013 के खण्ड 7.3.0 को प्रभावी करने के लिए डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 की धारा 24 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री। डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 15) से लिये गये उदधरण

XX XX XX XX XX

- 24. कुलपति.- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा-
 - (क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय या उसके किसी महाविद्यालय से संबंधित न हो;
 - (ख) भारतीय चिकित्सा पद्धिति (स्वास्थ्य और पिरवार कल्याण) विभाग, भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित भारतीय चिकित्सा पद्धिति का विशेष ज्ञान रखने वाला एक व्यक्ति;
 - (ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और
 - (घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति, और कुलाधिपति इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।
- (2) कुलपित की पदाविध उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

- (3) कुलपित, ऐसा वेतन और भित्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नि:शुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।
- (4) जब कुलपित के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदाविध समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह कुलािधपित द्वारा, उप-धारा (1) के अनुसार भरी जायेगी

और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (5) के अधीन और अन्सार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

- (5) जब कुलपित के पद की कोई अस्थायी रिक्ति उसकी छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (4) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपित को करेगा जो, राज्य सरकार की सलाह से, कुलपित के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए व्यवस्था करेगा।
- (6) कुलपित अपने पद का त्याग, किसी भी समय अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपित को प्रस्तुत करके, कर सकेगा।
- (7) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये।
- (8) जहां, कुलपित के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी भी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।
- (9) जहां कुलपित, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।
- (10) कुलपति, ऐसी दरों पर जैसीकि बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
 - (11) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टियों का हकदार होगा:-
 - (क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी; और

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी:

> परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।

XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 15 of 2018

THE DR. SARVEPALLI RADHAKRISHNAN RAJASTHAN AYURVED UNIVERSITY, JODHPUR (AMENDMENT) BILL, 2018

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur Act, 2002.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

- 1. Short title and commencement. (1) This Act may be called the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur (Amendment) Act, 2018.
 - (2) It shall come into force at once.
- 2. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 15 of 2002.- For the existing section 24 of the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur Act, 2002 (Act No. 15 of 2002), the following shall be substituted namely:-
 - "24. Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time paid officer of the University.
 - (2) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he is a distinguished academician in the field of Ayurved having a minimum of ten years experience as Professor in a University or college or ten years experience in an equivalent

position in a reputed research and/or academic administrative organization.

- (3) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government from amongst the persons included in the panel recommended by the Search Committee consisting of-
 - (a) one person nominated by the Board of Management of the University;
 - (b) one person having special knowledge of Indian System of Medicine nominated by the Ministry of Ayush, Government of India;
 - (c) one person nominated by the Chancellor; and
 - (d) one person nominated by the State Government, and the Chancellor shall appoint one of these persons to be the Chairman of the Committee.
- (4) An eminent person in the sphere of higher education not connected with the University and its colleges shall only be eligible to be nominated as the member of the Search Committee.
- (5) The Search Committee shall prepare and recommend a panel of not less than three persons and not more than five persons to be appointed as Vice-Chancellor.
- (6) For the purpose of selection of the Vice-Chancellor, the Search Committee shall invite applications from eligible persons through a public notice and while considering the names of persons to be appointed as Vice-Chancellor, the Search Committee shall give proper weightage to academic excellence, exposure to the higher education system in the country and adequate experience in academic

and administrative governance and record its findings in writing and enclose the same with the panel to be submitted to the Chancellor.

(7) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

- (8) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed.
- (9) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his death, resignation, removal or the expiry of his term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (3), and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him under and in accordance with sub-section (10).
- (10) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under subsection (9), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor, who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on of the function of the office of the Vice-Chancellor by any other Vice-Chancellor of a State University.
- (11) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

- (12) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.
- (13) Where a person appointed as the Vice-Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institution or University, he may continue to contribute to the provident fund of which he was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.
- (14) Where the Vice-Chancellor had been in his previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make necessary contribution to such scheme.
- (15) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the Board of Management of the University.
- (16) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave as under:-
 - (a) leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and
 - (b) leave on half pay at the rate of twenty days for each completed year of service:

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government had given sanction for adoption of the provisions of University Grants Commission Regulations, 2010. Later amendments were made in these Regulations in the year 2013.

In order to give effect to clause 7.3.0 of the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) (2nd Amendment) Regulation, 2013 regarding experience and selection procedure of Vice-Chancellor, section 24 of the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur Act, 2002 is proposed to be amended.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

कालीचरण सराफ, Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE DR. SARVEPALLI RADHAKRISHNAN RAJASTHAN AYURVED UNIVERSITY, JODHPUR ACT, 2002 (Act No. 15 of 2002)

XX XX XX XX XX XX XX

- **24. Vice-Chancellor.-** (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time paid officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government upon recommendation of a Selection Committee consisting of -
 - (a) one person nominated by the Board not connected with the University or any college thereof;
 - (b) a person having special knowledge of Indian System of Medicine nominated by the department of Indian System of Medicine (Health and Family Welfare) Government of India;
 - (c) one person nominated by the Chancellor; and
 - (d) one person nominated by the State Government, and the Chancellor shall appoint one of these persons to be the Chairman of the Committee.
- (2) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

- (3) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed by the statutes.
- (4) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his death, resignation, removal or the expiry of his term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (1), and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him under and in accordance with sub-section (5).
- (5) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or

when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (4), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor, who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on the functions of the office of the Vice-Chancellor.

- (6) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.
- (7) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.
- (8) Where a person appointed as the Vice-Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institution or University, he may continue to contribute to the provident fund of which he was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.
- (9) Where the Vice-Chancellor had been in his previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make a necessary contribution to such scheme.
- (10) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the Board.
- (11) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave as under:-
 - (a) leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and
 - (b) leave on half pay at the rate of twenty days for each completed year of service:

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate.

XX XX XX XX XX XX XX

<u>2018 का विधेयक सं. 15</u>

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा) राजस्थान विधान सभा

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय,

जोधपुर अधिनियम, 2002 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

दिनेश कुमार जैन, सचिव।

(कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 15 of 2018

THE DR. SARVEPALLI RADHAKRISHNAN RAJASTHAN AYURVED UNIVERSITY, JODHPUR (AMENDMENT) BILL, 2018

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly) RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

 \boldsymbol{A}

Bill

further to amend the Dr.Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur Act, 2002

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Dinesh Kumar Jain, **Secretary.**

(Kali Charan Saraf, Minister-Incharge)